

लघु बचत योजनाओं में ब्याज दर समायोजन

स्रोत: द हट्टि

हाल ही में केंद्र सरकार ने **सुकन्या समृद्धि खाता योजना (SSAS)** पर रटिर्न 8% से बढ़ाकर 8.2% और **3-वर्षीय पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम (POTDS)** पर रटिर्न 7% से बढ़ाकर 7.1% करने का नरिणय लया है। वर्ष 2024 की तमाही, जबका अनय सभी **लघु बचत योजनाओं** के लयि ब्याज दरों को अपरविरतति रखा गया है।

सुकन्या समृद्धि खाता योजना क्या है?

परचिय:

- सुकन्या समृद्धि खाता योजना (SSAS) वतित मंत्रालय द्वारा वशिष रूप से एक बालका के लयि एक छोटी जमा योजना है और इसे **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान** के एक भाग के रूप में शुरू कया गया है।
 - यह योजना कसी लड़की/बालका की **शक्फा और ववाह के खर्चों** को पूरा करने के लयि सरकार की एक पहल है।

पात्रता:

- ऐसी कोई भी बालका जो खाता खोलने से लेकर इसकी परपिकवता/कलोजर की अवधतक भारतीय नवासी हो।
- यह खाता **अभभावकों में से कसी एक** द्वारा उस बालका के नाम पर खोला जा सकता है, जसिने **खाता खोलने की तारीख तक 10 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो**।
- इस योजना के तहत एक परवार बालकाओं के लयि अधिकतम दो खाते खोल सकता है। हालाँकि, अपवादों में पहले या दूसरे क्रम में पैदा हुए जुड़वाँ या तीन बच्चों के लयि दो से अधिक खाते खोलने की अनुमता होती है, जो एक हलफनामे/शपथपत्र और जन्म प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणति होते हैं।

लाभ:

- योजना के तहत नयूनतम नवश की राशि 250 रुपए तथा अधिकतम नवश की राशि 1,50,000 रुपए प्रतवर्ष है एवं **मैच्योरटी/परपिकवता अवध 21 वर्ष** है।
 - वर्तमान में SSAS में कई कर लाभ हैं और सभी **लघु बचत योजनाओं में इसकी ब्याज दर सबसे अधिक है**।

डाकघर सावधजिमा योजना क्या है?

परचिय:

- POTDS को **राष्ट्रीय बचत समय जमा योजना** के रूप में भी जाना जाता है, यह एक सरकार समर्थति बचत वकिल्प है जो व्यक्तियों को एक नश्चित अवध के लयि राशिजमा करने और अपने नवश पर पूरव नरिधारति ब्याज दर अरजति करने की अनुमता देता है। यह योजना **इंडया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB)** द्वारा शुरू की गई है।

POTDS की वशिषताएँ:

- यह अलग-अलग परपिकवता अवधवाले चार प्रकार के खाते प्रदान करती है: **1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष**।
- यह 100 रुपए के गुणकों में 1,000 रुपए से लेकर कसी भी राशतिक जमा करने की अनुमता देता है।
- यह संयुक्त खाते, लघु खाते और नामांकन सुवधा की अनुमता देता है।
- यह आयकर अधनियम, 1961 की धारा 80C के तहत **5-वर्षीय खाते के लयि आयकर लाभ प्रदान करता है**।
 - आयकर अधनियम, 1961** की धारा 80C, व्यक्तियों और हट्टि अवभाजति परवारों (HUF) द्वारा कयि गए कुछ नवशों एवं खर्चों के लयि सकल कुल आय से कटौती की अनुमता देती है।
 - इससे वशिषट तरीकों से **बचत और नवश को प्रोत्साहन** मलता है, जसिके तहत कर योग्य देय कम होता है तथा करदाताओं को कर लाभ मलता है।

